

फाइल सं. ए.12018/ 24/2019-लेप
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में रेडियोग्राफर समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में रेडियोग्राफर समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। baidyanath.prasad@nic.in


(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,.....2019

सा.का.नि.राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडु में (रेडियोग्राफर) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1980 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडु में रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती कि पदति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडु में रेडियोग्राफर, समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती कि पदति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पदति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जिवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबन्ध में इन नियमों के किसी उपबन्ध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबन्ध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रेडियोग्राफर	एक पद * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (रु. 35400-1,12,400) वेतन मेट्रिक्स	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 साल तक की छूट नोट: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीच जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिलों के पंगु सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित तिथि नहीं।) नोट: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि अंतिम तिथि होगी, जिसके तहत रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती कि पदति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पदतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता</p>
<p>(7)</p>	<p>(8)</p>	<p>(9)</p>	<p>(10)</p>
<p>1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी, रेडियोलॉजी / मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी / मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोग्राफी) / रेडियोग्राफी और इमेजिंग साइंस / एक्स-रे टेक्नोलॉजी / मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी / रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी।</p> <p>2. पाठ्यक्रम को संबंधित राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।</p> <p>3. प्रतिष्ठित अस्पताल / संस्थान में एक्स-रे विभाग में रेडियोग्राफर / एक्स-रे तकनीशियन के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।</p> <p>नोट: 1. अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है।</p> <p>नोट-2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम अधिकारी के विवेक पर अनुभव की योग्यता में छूट दी जा सकती है , यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>2 वर्ष सीधी भर्ती के लिए</p>	<p>प्रतिनियुक्ति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर सीधी भर्ती के द्वारा।</p>

संभावना नहीं है।			
------------------	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति: किसी भी केंद्र सरकार के अस्पताल / संस्थान में नियमित आधार पर पे मैट्रिक्स के लेवल - 6 में अनुरूप पद पर हों और कॉलम 7 में वर्णित योग्यता रखते हों और क्षेत्र में 2 साल का अनुभव । या किसी भी केंद्र सरकार के अस्पताल / संस्थान में नियमित आधार पर पे मैट्रिक्स के लेवल - 5 में अनुरूप पद पर हों और कॉलम 7 में वर्णित योग्यता रखते हों और क्षेत्र में 6 साल का अनुभव ।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग) -चिरमन 2. निदेशक (ए एंड वी) - सदस्य 3. उप निदेशक (ओ एंड एम) - सदस्य 4. निदेशक (सीएलटीआरआई) - सदस्य 	<p>लागू नहीं</p>